Email-registrar@rmlau.ac.in

डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ.प्र.)

पत्रांक: लो0अ0वि0/सम्प0/2023–1388 दिनॉक: 23 अगस्त, 2023

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या के प्रांगण में "जहॉ है जैसी स्थित में है" कबाड़/स्क्रेप का विक्रय नीलामी के माध्यम से किया जाना है। नीलामी दाता को वित्तअधिकारी डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या के पक्ष में धरोहर धनराशि रू0 20,000.00 (बीस हजार) ड्राफ्ट/एफ0डी0/नगद जमा करना अनिवार्य है। जिसके पश्चात ही सम्बन्धित फर्म द्वारा नीलामी में प्रतिभाग किया जा सकता है। उपरोक्त नीलामी के नियम एवं शर्ते विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.rmlau.ac.in से डाउनलोड करके देखा जा सकता है।

कुलसचिव

प्रतिलिपिः–

1. सम्पादक...जनमोर्चा........... समाचार पत्र को इस आशय से प्रेषित कि उक्त समाचार पत्र के अयोध्या संस्करण मे उपर्युक्त निविदा 4X4 से0मी0 में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
2. प्रोग्रामर, ई0डी0पी0 को इस आशय से प्रेषित कि नीलामी सूचना से सम्बन्धित संलग्न प्रपत्रों/शर्तो को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर तक अपलोड करना सुनिश्चित करें।
3. निजी सचिव कुलपति, कुलपति महोदया के सूचनार्थ।

कुलसचिव

Email-registrar@rmlau.ac.in

डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ.प्र.)

शर्तो का विवरण

1. नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति/संस्था दिनांक–25/08/23 से दिनांक–06/09/23 तक किसी भी कार्य दिवस में विश्वविद्यालय के सम्पत्ति विभाग से सम्पर्क कर निष्प्रयोज्य सामग्रियों का निरीक्षण कर सकते है।

2. नीलामी में इच्छुक व्यक्ति/फर्म दिनांक–08/09/23 को नीलामी स्थल वित्तअधिकारी कक्ष में अपरान्ह 1.00 बजे प्रतिभाग ले सकते है।

3. यह नीलामी सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.rmlau.ac.in पर उपलब्ध है।

4. निविदादाता को धरोहर धनराशि रू0 20000.00 (बीस हजार रूपये) का बैक ड्राफ्ट/नगद जो कि वित्त अधिकारी डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या के पक्ष मे देय हो, निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है, अन्यथा की स्थिति में उसकी निविदा में प्रतिभाग पर विचार नहीं किया जायेगा।

5. निविदादाता को नीलामी से पहले आधार कार्ड/पैन कार्ड/जी0एस0टी0 की कापी जमा करना अनिवार्य होगा।

6. उच्चतम बोली दाता को अधिकतम बोली की धनराशि का 25 प्रतिशत धनराशि नीलामी समाप्त होने पर तुरन्त जमा करनी होगी अन्यथा बोली दाता द्वारा जमा की गई धरोहर धनराशि विश्वविद्यालय के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।

7. नीलामी की बोली नीलामी समिति द्वारा स्वीकृत होने के पश्चात सूचना प्राप्त होते ही उच्चतम बोली दाता शेष धनराशि एवं नीलामी की कुल धनराशि, देय अन्य कर सहित 02 दिवस के अन्दर जमा करनी होगी, जिसे जमा न करने पर बोली दाता के पक्ष मे स्वीकृत की गई नीलामी को निरस्त करते हुए उसकी जमा की गई धरोहर धनराशि विश्वविद्यालय के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।

8. नीलामी के स्थल में परिवर्तन माननीय कुलपति महोदया/अध्यक्ष नीलामी समिति के निर्देशानुसार किया जा सकता है, जिसकी सूचना दो दिवस पर्व विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड/वेबसाइट पर चस्पा कर दी जायेगी।

9. नीलामी प्रकिया में अंतिम निर्णय नीलामी समिति का मान्य होगा।

10. निष्प्रयोज्य सामग्रियों की बोली "जहॉ है जैसे है" के आधार पर की जायेगी।

11. एक या समस्त बोली स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा, इस सम्बन्ध में नीलामी बोली दाताओं का कोई दावा मान्य नही होगा।

12. नीलामी के किसी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र–अयोध्या होगा।

13. बोली स्वीकृत होने पर बोली दाता को बोली की सम्पूर्ण धनराशि देय सभी करों सहित जमा करने के उपरान्त एक सप्ताह के अन्दर 10 बजे से 05 बजे के बीच कार्य दिवसों में ही निष्प्रयोज्य सामग्रियों को अपने खर्चे पर उठाना होगा अन्यथा विभाग द्वारा प्रतिदिन के हिसाब से विलम्ब शुल्क अलग से लगाया जा सकता है। निष्प्रयोज्य सामग्रियों को प्राप्त करने से पूर्व बोली दाता द्वारा पहचान पत्र के रूप में पैन कार्ड/आधार कार्ड की मूल प्रति प्रेषित करनी होगी।

14. बोली स्वीकृत होने तक अधिकतम बोली लगाने वाले व्यक्ति द्वारा जमा की गई धनराशि पर किसी प्रकार का ब्याज अथवा अन्य कोई दावा मान्य नही होगा।

15- कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के स्थान पर बोली बिना प्राधिकार –पत्र के नही लगा सकता।

कुलसचिव